मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012 (चैत्र 9, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगें तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2011-2012 की प्रथम छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही समीक्षा विवरण पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 27 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

(3) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, नवम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, दशम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, एकादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 तथा त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पर की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पटल रखेंगे.

(4) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनिमय, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री अजय सिंह, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव निवासी दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले की सेवा सहकारी समिति मछण्ड के प्रबंधक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना जिले के नागरिकों पर झूठे प्रकरण दर्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य, देवास जिले की खातेगांव मण्डी में गेंहू की खरीदी फ्लेट कांटे से न किये जाने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, भोपाल में पदस्थ उप-पंजीयक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के ग्राम खेजरामाफी में असमाजिक तत्वों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री हरेन्द्रजीत सिंह 'बब्बू', सदस्य, जबलपुर की पुरूषार्थ गृह निर्माण समिति के पदाधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत भरावदा के सरपंच द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्रीमती ललिता यादव, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी -

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं"

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, प्राक्कलन समिति का षष्टम एवं सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का **पचासवां** से **एक सौ चौदहवां** प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चतुर्थ, पंचम, षष्टम तथा सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, **मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012)** के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, **मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012)** के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, **मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन,आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012**) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, **मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012)** के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, जेल मंत्री**, बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012)** के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय
1 घन्टा 30 मि.

(6) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि **मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012)** पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि **मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012)** पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि **मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन,आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012)** पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि **मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012)** पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(10) श्री जगदीश देवड़ा, जेल मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि **बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012**) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में ठंड एवं पाले से फसलें बर्बाद होने की ओर सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, यादवेन्द्र सिंह, पारस दादा तथा डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 28 मार्च, 2012